अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर कार्यवाही करने संबंधी प्रक्रिया

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण जेजे निवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक आवासीय इकाई के आबंटन हेतु पात्रता-निर्धारण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करेगा। इस अपीलीय प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अपर जिला न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(ख) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट।

(ग) उपाध्यक्ष, दिविप्रा द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य।

(घ) उपाध्यक्ष, दिविप्रा द्वारा नामित दि.वि.प्रा. के उप निदेशक, जो संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) कोई भी जेजे निवासी, जिसे जेजे निवासी की पात्रता निर्धारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा पारित आदेश से शिकायत है, वह उस विवादित आदेश की सूचना की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील फ़ाइल करने का हकदार होगा।

(iii) अपीलीय प्राधिकारी उचित और पर्याप्त कारणों के आधार पर उपर्युक्त खंड (ii) के अंतर्गत दी गयी समय सीमा की अवधि के बाद की गयी अपील पर विचार कर सकता है।

(iv) अपीलीय प्राधिकारी, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उस आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है अथवा उस आदेश को प्रत्यावर्तित कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझता हो।

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश, जो उपाध्यक्ष, दिविप्रा द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किया गया हो, अंतिम होगा।

सेवा में,

डी.डी.ए. पदाधिकारी

अपीलीय प्राधिकरण

जेलरवाला बाग, अशोक विहार

नई दिल्ली- 110052

श्रीमान जी,

मैं_________________________________ सुपुत्र/सुपुत्री________________________________

निवासी पता- जेलरवाला बाग, अशोक विहार में झुग्गी नं0_____________ का गत___ वर्षों से निवासी हूँ। मेरा सर्वे भी डी.डी.ए द्वारा आबंटन के लिए किया गया था, लेकिन मेरा आवेदन रद्द कर दिया गया जिस बारे में मुझे पात्रता निर्धारण समिति का आदेश नं.____ दिनांक________ से सूचित किया गया है।

मैं पात्रता निर्धारण समिति के निर्णय से सहमत नहीं हूँ तथा मेरे पास वह सभी दस्तावेज उपलब्ध है जिसके कारण मेरा आवेदन निरस्त किया गया है।

अतः मैं अपीलिय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर रहा/रही हूँ तथा निम्नलिखित दस्तावेज पेश कर रहा/रही हूँ।

1.

2.

3.

कृपया मेरी अपील स्वीकार की जाए तथा डी.डी.ए पॉलिसी के तहत निर्धारण समिति के निर्णय को निरस्त करते हुए मेरे हक में फ्लैट आवंटित किया जाए।

दिनांकः

अपीलार्थी के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर